

सरल प्रावधानों को समाहित कर आमजन को लाभान्वित करें : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने नीतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा, महिला, किसान एवं गरीब के सर्वांगीण विकास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए अधिकारियों को नीति-निर्धारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आकर्षक, सुस्पष्ट एवं सुसंगत नीतियों के निर्माण में नवाचारों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। शर्मा ने नीतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लम्बित नीतियों, योजनाओं एवं अधिनियमों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के चहुँमुखी विकास और कल्याण के लिये कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनता को सुशासन देना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2025 लेकर आएगी, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं से कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। शर्मा ने सहकारिता बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की नियमित ऑडिट करने के संबंध में नए अधिनियम में प्रावधानों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया ताकि ये संस्थाएँ सुचारू रूप से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लम्बित नीतियों, योजनाओं एवं अधिनियमों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संचालित हों। उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीकरण के संबंध में भी सुस्पष्ट प्रावधान शामिल करने के लिए निर्देशित किया।

शर्मा ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति लाने जा रही है। उन्होंने खेल एवं युवा मामला विभाग के अधिकारियों को इस नीति में युवाओं की आवश्यकताओं एवं आशाओं के दृष्टिगत प्रावधानों को

समाहित करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने कहा कि खेल नीति में खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देते हुए उन्हें संबल देने के विशेष प्रावधान किए जाएँ। नीति के प्रावधान आकर्षक होने के साथ-साथ व्यवहारिक हों। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है, इसलिए नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया

मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रस्तावित वैद अधिनियम और आबकारी कानून के संदर्भ में अधिकारियों को अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करते हुए नवाचारों को समाहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट स्किल पॉलिसी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रावधान जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है, इसलिए नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया

अनुसंधान अधिकारियों व थानाधिकारी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की कार्रवाई करे डी.सी.पी.

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने स्कूली छात्राओं के एआई तकनीक से न्यूड फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने से जुड़े मामले में चार किशोरी आरोपियों को सख्त जमानत पर रिहा करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में संदेहपूर्ण अनुसंधान करने पर मानसरोवर थाने के थानाधिकारी व प्रकरण में अब तक रहे अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीसीपी दक्षिण को

आदेश की कॉपी भेजी है। पीठासीन अधिकारी विरूपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने दो अन्य आरोपियों के लिए अज्ञात कारणों से अलग अलग अमानत है, जबकि चैट में इन दोनों ने भी अत्यंत भद्दी भाषा में न्यूड फोटोग्राफ की मांग की है और ग्रुप की गतिविधियों में सक्रिय सहयोग किया है। अदालत ने कहा कि 3 फरवरी, 2024 को एफआईआर दर्ज होने के करीब आठ माह बाद पीठिता के धारा 161 के बयान और करीब दस माह बाद धारा 164 के

बयान कराए, जबकि कानूनी प्रावधान है कि घटना के तुरंत बाद ही बयान दर्ज हो जाने चाहिए था। ऐसा नहीं करना भी आईपीसी की धारा 166ए के तहत दंडनीय है। इसके अलावा एफआईआर के दिन पीठिता की उम्र की जानकारी मिलने के बाद भी दस माह तक पॉक्सो की धारा नहीं लगाई। ऐसा करना भी पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। अपील में अधिवक्ता प्रियंका पारीक ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी किशोर 14 दिसंबर, 2024 से अफिरसा में है। उन्हें अपने किए पर पश्चता भी है।

उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा आईओ ने दो अन्य किशोरों को मामले में गवाह बना दिया, जबकि पीठित पक्ष ने उनका भी मामले में अलग-अलग रोल बता दिया गया था। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया और एआई तकनीक से दो छात्राओं के न्यूड फोटो अपलोड किया। वहीं आरोपियों ने उस पर धड़े कमेंट भी किए। इन्हें जमानत पर छोड़ा तो ये स्कूल का माहौल खराब करेंगे।

जेडीए प्रशासन कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करें : हाईकोर्ट

जयपुर। झालाना डूंगरी स्थित केसरगढ़ भवन और जयपुर विकास प्राधिकरण के बीच वर्ष 2002 से चल रहे विवाद में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने कहा कि जे.डी.ए. प्रशासन इस प्रॉपर्टी पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके लिए भवन मालिक को बाकायदा नोटिस जारी कर अन्य विधिक कार्रवाई पूरी की जाये।

■ केसरगढ़ भवन और जे.डी.ए. के बीच वर्ष 2002 से लंबित विवाद पर सुनवाई हुई

पहुँच गए थे। जेडीए प्रशासन को इस मन्मान की विरोध में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को भी पत्र लिखा और राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर वर्ष 2002 से ही यथास्थिति बनाये रखने के आदेश थे।

‘नौनिहालों की नींव मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण’

जयपुर। धात्री महिलाओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सही पोषण सुनिश्चित करने, टीकाकरण, शाला-पूर्व शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में प्रदेश की क़रीब 62000 आंगनबाड़ियों द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन-सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, को पूरा करने के लिए जरूरी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अब हम नवीनतम तकनीक, सॉफ्टवेयर तथा सरलीकृत प्रक्रियाओं को भी अपना रहे हैं।

गौरतलब है कि 25 फरवरी 2001 को नगर निगम के तत्कालीन अफसरों ने केसरगढ़ भवन के मालिक टाकुर रजिमाथ सिंह को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केसरगढ़ में कई दुकानों का निर्माण कराया गया है, परंतु

बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक तय सेटबैक नहीं छोड़ा गया। इस मामले में वर्ष 2001 में ही याचिकाकर्ता ने नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की ध्वस्तिकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक के आदेश अदालत से प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद अदालत ने वर्ष 12 जून 2001 को स्टे ऑर्डर जारी किया था। इसके बावजूद वर्ष 12-जून 2002 को करीब 1 साल बाद जेडीए कर अन्य अधिकारी इस इमारत पर कार्रवाई करने

राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर प्रतिभाओं का सम्मान किया

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के “79वें स्थापना दिवस” पर विश्वविद्यालय से अध्ययन कर राजकीय एवं खानदान संस्थाओं में विभिन्न पदों पर चयनित विद्यार्थियों तथा देश-विदेश एवं समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु प्रतिभा सम्मान समारोह मानविकी पीठ समारंग में आयोजित किया।



राजस्थान विश्वविद्यालय के “79वें स्थापना दिवस” पर मानविकी पीठ समारंग में मुख्य अतिथि केंद्रीय सचिव वी. श्रीनिवास एवं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व एम्बेसेडर एवं हाई कमिश्नर ऑफ इण्डिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने सभी अतिथियों का स्वागत क्रियेव सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों हेतु शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है, जिनमें अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त करने की अपार क्षमता एवं सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

प्रशासनिक सेवाओं में चयनित कुल 150 प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया। जिनमें विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट्स विभाग की छात्रा अनुरा प्रसाद की जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने, गणित विभाग के 2 विद्यार्थियों का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में तथा भौतिकशास्त्र विभाग के 2 विद्यार्थियों का भायोटेनोमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में चयन होने, वाणिज्य संकाय की निकिता टंकर को चाईट अकाउन्टेन्ट की ऑल इण्डिया परीक्षा में तीसरी रैंक अर्जित करने, ललित कला संकाय के 2 विद्यार्थियों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चयन होने तथा राज्य स्तर पर आर.जे.एस. परीक्षा में द्वितीय रैंक के साथ यहाँ के 35 विद्यार्थियों का न्यायिक सेवा में व 15 विद्यार्थियों का सौख्यिकी सेवाओं में और ऐसे ही अनेक विद्यार्थियों का राज्य प्रशासनिक सेवाओं में चयन होने पर उनकी विशिष्ट उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय सचिव वी. श्रीनिवास एवं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व एम्बेसेडर एवं हाई कमिश्नर ऑफ इण्डिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने सभी अतिथियों का स्वागत क्रियेव सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों हेतु शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है, जिनमें अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त करने की अपार क्षमता एवं सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं, संगीत, एवं नाट्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित करने एवं वैज्ञानिक, न्यायिक व

राइजिंग राजस्थान में किये 350 करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर

■ तीन कम्पनियों राज्य में करेंगी 350 करोड़ रुपये का निवेश

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में निष्पादित किए गए एमओयू एक के बाद एक धरातल पर उतर रहे हैं। रीको द्वारा तीन और कम्पनियों इंडियन एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, सनकाइंड फोटोवॉल्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टेनवैक (सुपेरोन ग्रुप) को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भूखण्ड आवंटित कर दिए गए हैं। इनमें इंडियन एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड को भोलवाड़ा जिले के उखलिया सनकाइंड फोटोवॉल्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र, सनकाइंड फोटोवॉल्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड को माथासुला औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर एवं स्टेनवैक को सालरपुर औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में भूमि उपलब्ध करवाई गई है।

कम्पनियों द्वारा जल्द ही औद्योगिक इकाई के परिचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड (ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कम्पनी) को भारतीय सहायक कंपनी को वेदांता की खदानों के पास ही भूमि की आवश्यकता होने के कारण भोलवाड़ा जिले के उखलिया औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन किया गया है।

निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं। ग्रीन टेक सेक्टर की कंपनी सनकाइंड फोटोवॉल्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड माथासुला औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में 10 एकड़ भूमि पर 200 करोड़ का निवेश करने के साथ लगभग 800 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। राजस्थान में शुरू किए जा रही कम्पनी की यह नई इकाई भारत के साल 2030 तक 500 गीगावॉट के रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगी।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ रुपये के चरणबद्ध निवेश व 10 एकड़ भूमि पर अपनी परिचालन प्रक्रिया शुरू करके रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान होगा। इस नई इकाई का लक्ष्य राजस्थान में नॉइज टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लांट के निर्माण पर होगा। यह तकनीक विशेष रूप से खनन सहित कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। कम्पनी विस्फोटकों, ब्लास्टिंग सिस्टम, खनन रसायनों और भू-तकनीकी निगरानी समाधानों की विश्व में अग्रणी

रिपोर्टों के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में कई बड़ी कम्पनियों ने राजस्थान में अपनी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए एमओयू किए जो उनका राज्य सरकार एवं यहां की औद्योगिक नीतियों के प्रति अटूट विश्वास दर्शाता है। इसी विश्वास पर खरा उतरने के लिए रीको प्रयासरत है। हाल ही रीको ने इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक सेक्टर एवं खनन क्षेत्र की तीन अग्रणी कम्पनियों को भूखण्ड आवंटित किए हैं। ये तीनों क्षेत्र ही ऐसे हैं जो राज्य ही नहीं देश के आर्थिक विकास के लिए भी मजबूत स्तम्भ साबित हो रहे हैं। जिन कम्पनियों ने एमओयू किए हैं, उन्हें भूखण्ड आवंटन हेतु रीको कठिबद्ध है।

सादगी से मनाया जायेगा वासुदेव देवनानी का जन्मदिन

सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की नीतियां कोर्ट में पेश करें : हाईकोर्ट

जयपुर (कांस)। राज्य सरकार और कई सरकारी कॉर्पोरेशन जैसे रीको व रोडवेज तथा स्वायत्तशापी संस्थाओं में पैल लॉय व सरकारी अधिवक्ता नियुक्ति किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायाधीश समीर जैन ने 17 जनवरी 2023 को आदेश दिए थे कि राज्य व केन्द्र सरकार अधिवक्ताओं की नियुक्ति से पहले अपनी-अपनी नीतियां कोर्ट में प्रस्तुत पेश करें, क्योंकि याचिकाकर्ता शोध बाबरुद्दीन की याचिका में कहा गया था कि राजनैतिक हितों को देखते हुए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसमें योग्यता को देखते हुए कोई मैरिट व्यवस्था नहीं है।

लेकर घोषित किया था और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य को भी अदालत की सहायता के लिए कहा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता आर.डी.रस्तोगी तथा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पैरवी के लिए पेश हुए थे। राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार अपनी नियुक्ति नीति जल्द ही अदालत में पेश कर देगी, परंतु कॉर्पोरेशन व स्वायत्तशापी संस्थाओं की ओर से इस बारे में जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि यह संस्थाएँ सीधे तौर पर सरकार के अधीन नहीं आती हैं। इस पर अदालत ने इस प्रकरण की सुनवाई चार सप्ताह बाद तय करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्मदिवस की 76 वीं वर्षगांठ पर चार दिवसीय कार्यक्रम होगा। देवनानी का जन्मदिन जयपुर और अजमेर में 9 से 12 जनवरी तक मनाया जायेगा। इस मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम सनातन संस्कृति के अनुरूप सादगी के साथ वैदिक परम्पराओं से आयोजित होगा। हवन, पूजा, सुन्दरकाण्ड, आरती, कम्बल वितरण, गौ सेवा, मानव सेवा, अजमेर के जे.एल.एन अस्पताल को ट्रेली व व्हील चेयर वितरण और रक्तदान सहित अनेक कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किये जाएंगे। देवनानी का जन्मदिवस 11 जनवरी को है। विधानसभाध्यक्ष के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर 9 जनवरी को विधानसभा परिसर में स्थित श्रीविद्यावेश्वर शिव मंदिर में भक्तिभाव के साथ पवित्र सुन्दरकांड का संगीतमय पाठ का आयोजन विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

मजदूर की हत्या करने वाला बदमाश कर्नाटक से गिरफ्तार

जयपुर (कांस)। बगरू थाना पुलिस ने मजदूरी के रूप में आगे की हत्या करने आरोपित को दो हजार किलोमीटर पीछा कर कर्नाटक से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है। आरोपी ने एक मजदूर के साथ इतनी मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई।

■ बगरू थाना पुलिस ने करीब 2 हजार कि.मी. तक पीछा करके आरोपी को दबोचा

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि बगरू थाना पुलिस ने मजदूरी के रूप में आगे की हत्या करने आरोपित रामजीत सहनी निवासी श्यामपुर भटहा जिला शिवहर बिहार को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि तीन नवम्बर 2024 को बगरू थाना इलाके क्षेत्र में काम करने वाले एक मजदूर के साथ मारपीट की गई थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिसका इलाज के बाद घायल मजदूर को उसके साथी एम्बुलेंस से गाँव लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मजदूर की मौत हो गई।



गिरफ्तार आरोपी रामजीत सहनी

इस पर मृतक के साथी शव लेकर उसके गाँव बिहार चले गए। मृतक के परिजनों ने पिपराही थाना जिला शिवहर बिहार में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। जहाँ जानकारी मिलने पर पुलिस ने अपने स्तर पर घटना की जांच करना शुरू कर दिया और सी से अधिक सीसीटीवी

कैमरा चौक कर घटना की जानकारी ली गई। पुलिस थाना पिपराही जिला शिवहर बिहार से जयपुर पुलिस को जीरो एफआईआर में पीठित ने बताया कि उसके पुत्र रम्यु साह उर्फ झब्बु साह को एक सफर कर के बदमाश को कर्नाटक में पकड़ा।

‘राजस्थान में 713 मतदान केन्द्र बढ़ें’

जयपुर। राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम-2025 के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन प्रक्रिया के दौरान बाँटे कुछ माह के दौरान बड़ी संख्या में नए लोगों और विशेषकर महिलाओं को पहली बार मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने एसएसआर-2025 के तहत प्रदेश के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित अंतिम एकीकृत मतदाता सूचियों के विषय में राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सूचियों के अनुसार, राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या में 10 लाख 89 हजार 723 की वृद्धि के साथ ही मतदान केन्द्रों की संख्या भी बढ़ गई है। मतदाताओं की संख्या बढ़ने के क्रम में गाँव विधान विभाग ने प्रदेश में मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया है। अब प्रदेश में कुल मतदान केन्द्र 52,469 हो गए हैं।

राजस्थान में 21 दिन चलेगा “दूध का दूध-पानी का पानी” अभियान

जयपुर। आम उपभोक्ताओं को दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्यभर में “दूध का दूध-पानी का पानी” अभियान चलाया जायेगा। अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से होगी, जो 21 दिन यानि 30 जनवरी तक चलाया जायेगा। इस दौरान राज्यभर की सरस डेयरियों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में लगाये जाने वाले जांच शिविरों में उपभोक्ताओं को दूध की ऑन द स्पॉट जांच कर हाथों हाथ प्राथमिक जांच परिणाम भी बता दिये जायेंगे। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा कि राज्यभर में आरसीडीडी का सम्बद्ध सभी सरस डेयरियों में एकसाथ दूध का दूध, पानी का पानी अभियान के अन्तर्गत आम उपभोक्ताओं द्वारा लाये गये दूध के सैम्पल्स की निःशुल्क



जांच कर उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि में जांच परिणाम से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अभियान की अवधि के दौरान राज्यभर की सरस डेयरियों में उनके द्वारा उपभोक्ताओं में लाये जा रहे दूध अथवा बने अन्य उत्पादों के सैम्पल निःशुल्क जांच हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में दे सकते हैं। उपभोक्ता जांच

हेतु खुला दूध अथवा किसी भी ब्राण्ड का दूध दे सकते हैं। समबद्ध जिला दूध संघ की गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न मानकों पर सैम्पल्स की निःशुल्क जांच कर उपभोक्ताओं को जांच रिपोर्ट समयावधि में दी जायेगी। जांच प्रक्रिया के दौरान दूध में मौजूद पानी की मात्रा, मिलावट और उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच की जावेगी।